न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2021(2021/386)

1 दीपक गुर्जर पुत्र श्री रामकिशन जाति गुर्जर निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

--प्रार्थी

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र मिश्रीलाल जाति कोली निवासी वार्ड संख्या 1 कोली मोहल्ला, गोल हथाई के पास सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

2 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

श्री चेतन धाबाई - वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) - अप्रार्थी संख्या 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

दिनांक 6.7.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम छाबडिया तहसील केकडी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
443-20	789	2.42	बारानी दोयम
	किता 1	रकबा 2.42हैक्टर	

वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत् 2073-76 प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकारी दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी की आराजी के लगवा अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि आराजीयात है जिसके खसरा नंबर 790 व 791 हैं प्रार्थी का रास्ता कदीमी रूप से आराजी खसर नंबर 790 व 791 के मध्य से होकर चला आ रहा है इसके अलावा प्रार्थी के आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है इसी कदीमी रास्ते का उपयोग प्रार्थी व उसके परिवारजन कदमी से निर्बाधरूप से करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाता है तथा दिनांक 29.12.2020 को प्रार्थी अपनी आराजी में काश्त की गई फसल मे दवाई का छिडकाव करने के लिये गये तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ गाली गलोच व मारपीट करने पर आमाद हो गया तथा धमकी दी कि आयन्दा इस रास्ते से आये तो तुम्हारे हाथ पर तोड दूंगा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी आराजी में आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने में काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण उपरोक्त वर्णित कारणों से प्रथम बार दिनांक 29.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को अपनी आरजी में आने जाने में बाधा उत्पन्न करने एवं एलानिया धमकिया देने से उत्पन्न हुआ अतः माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी मे आने जाने के लिए खसरा संख्या 790 से 791 के मध्य से लेकर प्रार्थी की आराजी तक रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान कराने व नक्शे मे तरमीम किये जाने व डी.एल.सी की दर से राशि जमा किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद सूचना व सम्मन तामिली के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

केकडी

Scanned with CamScanner

एकतरफा। कार्यवाही अमल मे लाई गई। **अप्रार्थी संख्या –2 जरिये पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुआ।** जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है:

प्रार्थी दीपक गुर्जर पिता रामकिशन गुर्जर निवासी केकड़ी द्वारा चाहे गये रास्ते की जॉच रिपोर्ट निम्नानुसार प्राप्त है राजस्व ग्राम छावड़िया के खसरा नंबर 789 रकबा 2.42 हैक्टर दीपक गुर्जर पिता रामकिशन गुर्जर केकड़ी के नाम दर्ज है। प्रार्थी का खेत छावड़िया मेवदाकला की सीमा के अन्दर दूसरे का खेत है आवेदक खसरा संख्या 790 व 791 मे से होकर रास्ता चाहा रहा है खसरा संख्या 790/0.10 व 791/1.52 खातेदार सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल कोली सा. वार्ड संख्या 10 कोली मोहल्ला गोल प्याऊ सावर के पास है खसरा संख्या 790 मे से 20x8=160 वर्गमीटर, 791 मे से 104x8=832 इस प्रकार 992वर्गमीटर भूमि रास्ते का कुल क्षेत्रफल नजरी नक्शेअनुसार होता है जिसकी ग्राम छावड़िया की दर 316216 प्रति हैक्टर से 31367 बनते है तथा डबल करने पर 62734/– रूपये बनते है उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक में वैकल्पिक रास्ता नही है एवं सबसे निकटतम रास्ता प्रस्तावित रास्ता ही है।

बरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यो एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम छावडिया के खसरा नंबर 789 पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 790 व 791 मे से होकर रास्ता उपयोग कर रहे है। जो मौके पर रास्ता चालू है। जो कि निकटतम रास्ता जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन है निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की आराजी ग्राम छावडिया के खसरा नंबर 789 रकबा 2.42हैक्टर में आने जाने के लिए खसरा संख्या 790 व 791 मे से आने जाने के लिए रास्ता है जिसमे खसरा संख्या 790 व 791 खातेदार सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल के नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 790 में से 20x8=160 वर्गमीटर, 791 मे से 104x8=832 इस प्रकार 992वर्गमीटर भूमि रास्ते का कुल क्षेत्रफल नजरी नक्शेअनुसार होता है जिसकी ग्राम छावडिया की डी.एल.सी दर 316216 प्रति हैक्टर से रास्ते मे उपयोग मे आयी भूमि की लागत 31367 रूपये बनते है तथा दुगुनी करने पर 62734/– रूपये राशि अप्रार्थी संख्या–1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 790 व 791 में मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थी से उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 62734/– रूपये बनी(मौका रिपोर्ट अनुसार) राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी संख्या–1 को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम छावडिया के खसरा संख्या 789 मे आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पंचोली) आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner